

माननीय राजस्व मण्डल स्वातितर कैम्प रोवा ₹५०प्र०

156  
8-6-13

169

43



A-207

अधिकारका भी जाहाज व पालेष  
दाम प्रति  
निगरानी प्रकरण क्रमांक  
मार्च. ८-६-२०१३

R-3254-III

- 1- नवद्या पिता शिवद्याल अंहर निवासी ग्राम चंदवाहो तहसील  
सिहाबल, जिला सौंधी म०प्र०
- 2- ददन पिता शिवद्याल अंहर निवासी ग्राम चंदवाहो तहसील सिहाबल,  
जिला सौंधी म०प्र०

बनाम,

- 1- अरुण सिंह तनय कृष्ण प्रताप सिंह निवासी ग्राम देवगढ़ तहसील सिहाबल  
जिला सौंधी म०प्र०
- 2- कृष्ण प्रताप सिंह तनय विष्णुबहादुर सिंह ₹५०प्र० पुनरीक्षण के लम्कान्काल मैमूतक किन्तु  
वारिश पक्कार नहीं बनाये गये ₹५०प्र० गैर निगरानीकर्ता निगरानीकर्ता

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर  
कलैकटर महादेव सौंधी, जिला सौंधी म०प्र० प्रकरण  
क्रमांक - ११/निगरानी/२०११-१२ में पारित आदेश  
दिनांक ११.६.२०१३,

निगरानी अन्तरगत धारा 50 म०प्र० भू रा०प्र० १९५९

मान्यता,

निगरानी के बाधार निम्नांकित है :---

- 1/ यहकि अधीक्ष्य न्यायालय दारा पारित प्रश्नाधीन आदेश  
विधि प्रक्रिया तथ्य एवं सहज न्याय के तिर्यक के प्रतिकूल होने से निरस्त  
किये जाने योग्य है।
- 2/ यहकि अधीक्ष्य न्यायालय के समव निगरानी के लम्कान्काल में  
निगरानीकर्ता क्रमांक - २ के रूप में बैंकिंग पक्कार कृष्ण प्रताप सिंह तनय लालैकंडु

h

caub  
BC

(43)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R3254-II/13 जिला—सीधी

नवम्बर महीने विरुद्ध दारणा फिलेट

(1)	(2)	(3)
15-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री...अब्दुल्लाह...अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कस्टेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला—सीधी के प्रकरण क्रमांक 11/भाग-12/11-12 में पारित आदेश दिनांक 11-06-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 24-3-19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	